राजस्थान–सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा नम्बर	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
150 / 2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	04.10.2019	24.10.2019

उनवान सरकार बनाम श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपुत निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

–: निर्णय :–

पत्रावली आज पेशा हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का पचेरी कलां ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम पचेरी कलां की राजकीय भूमि गै0मु0 पहाड़ ख0न0 1291 कुल रकबा 12.29 है0 किस्म गै0मु0पहाड़ में से 0.02 है0 भूमि पर अतिक्रमी श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपुत निवासी पचेरी कलां ने अवैध रूप से 40×20 वर्ग फीट पक्का अतिक्रमण (दुकान) शेष में छड़ी डालकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट. के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। अतिक्रमी आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.10.2019 को मय अभिभाषक उपस्थित होकर नोटिस जबाब पेश किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम पचेरी कलां में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1291 रकबा 0.02 है0 पर गैर सायल द्वारा अतिक्रमण कर उसमे 40×20 वर्ग फीट पक्का अतिक्रमण (दुकान) शेष में छड़ी डालकर अतिक्रमण कर अतिचार किया जाने का नोटिस गैर सायल को दिया है माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में भी वाके ग्राम पचेरी कलां में स्थित भूमि ख0न0 1291 रकबा 0.02 है0 पर गैर सायल को अतिक्रमी मानकर मु0न0 350 / 2018 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण सिंह धारा 91 एल.आर.एक्ट. पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 28.03.2019 को किया गया था कि उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की है उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की होने के कारण उक्त सम्बंध में कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग करे। उक्त विवादित भूमि राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में नही है उक्त कारण मानकर निर्णय पूर्व में किया जा चुका है। धारा 10 जा.दी. के तहत एक समान ही भूमि एक ही समान पक्षकार व उसी सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में किये गये निर्णय की दुबारा से उन्ही पक्षकारो व उसी भूमि

तहसीलदार बुहाना
जिला झुन्झनू (राज.)

Scanned by CamScanner

व न्यायालय द्वारा वाद/कानूनी कार्यवाही नही की जा सकती है उन्तर्गधारा 10 जाप्ता दिवानी द्वारा न्यायालय को पाबन्द किया गया है उक्त प्रकरण भी एक ही भूमि व पक्षकार व न्यायालय हाजा के मध्य पहले किया जा चुका है। प्रार्थी गैर सायल का उक्त भूमि पर कदीम से कब्जा है तथा प्रार्थी का विद्युत सम्बंध लगा हुआ है चारो तरफ आबादी बसी हुई है तथा आबादी क्षैत्र है भूमि पर कई व्यक्तियो ने दुकाने मान बना रखे है प्रार्थी से पूर्व उसके पिता का कब्जा था जिस पर कच्चे छप्पर बना हुआ था छड़िया, पत्थर पड़े हुये थे। प्रार्थी का का कदीम से कब्जा है जिस पर प्रार्थी शान्तिपूर्वक रूप से निवास कर रहा है। नोटिस जवाब को शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि गै0मु0 पहाड़ में 40×20 वर्ग फीट पक्का अतिक्रमण (दुकान) शेष में छड़ी डालकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी धोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी हल्का पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से 40×20 वर्ग फीट पक्का अतिक्रमण (दुकान) शेष में छड़ी डालकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप का अतिक्रमण शुदा शहर लगान 10.04 भूमि के लगान 1.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50/– बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/ हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मांगेराम पुनिया)
तहसीलदार बुहाना
तहसीलदार बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

58
01 ... 50/-

Suman

Scanned by CamScanner